विचार बिन्दु

अपने नाम को कमल की तरह निष्कलंक बनाओ। –लांग फैलो

‘ऐसे ही चलता है’ की मनोवृत्ति अच्छी नहीं है

सामान्यतया,यह देखा गया है यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई दूसरा व्यक्ति गलत व्यवहार कर रहा है, तो हम यह सोचकर कुछ नहीं बोलते हैं कि हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारे साथ ऐसा थोड़े ही हो रहा है। यही वह मनोवृत्ति है, जिससे समाज में अनैतिक, गैर कानूनी और आपराधिक गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं, फिर भी इनके विरोध में कोई बोलता तक नहीं है, आवाज उठाना तो दूर की बात है। ऐसा व्यवहार करते समय वे यह भूल जाते हैं कि आज यह व्यवहार किसी दूसरे के साथ हो रहा है और वे नहीं बोलेंगे तो कल उनके साथ भी ऐसा ही होगा।

इस प्रकार की प्रवृत्ति केवल सामान्य नागरिकों के आपस के व्यवहार के बारे में नहीं है, अपितु प्रत्येक सरकारी विभाग जैसे नगरीय शासन, परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कर विभाग, पुलिस और राजस्व विभाग आदि के बारे में भी है। यदि कोई विभागीय अधिकारी/ कर्मचारी नागरिकों के प्रति अपेक्षित दायित्व का निर्वहन न कर रहा हो और भ्रष्टाचार में लिप्त हो, तब भी अधिकांश लोग इस प्रकार के कामों को रोकने का कोई प्रयास नहीं करते। वे न तो इसके विरुद्ध बोलते हैं न कुछ करते हैं। मैंने ऐसे व्यक्तियों से कई बार पूछा कि वे गलत काम के विरुद्ध किसी विभागीय अधिकारी को या सरकार के उच्च अधिकारियों तक शिकायत क्यों नहीं करते हैं, तो उनका एक ही रटा-रटाया जवाब होता है कि शिकायत करने से क्या फायदा, “यहां तो ऐसे ही चलता है”। सरकारी कामकाज के प्रति नागरिकों की यही हताशा और उदासीनता की मनोवृति है, जिसके कारण सरकारी कर्मचारी और अधिकारी बेलगाम होकर नागरिकों का शोषण करने में लगे रहते हैं। कई विभागों में भ्रष्टाचार चरम पर है किंतु कोई उसके विरुद्ध आवाज तक नहीं उठाता ।

हम इस आलेख में यह विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे कि आजकल ‘ऐसा ही चलता है’ की मनोवृत्ति क्यों अधिक पनप रही है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है?

यदि किसी मोहल्ले में सड़क की स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी हो, सफाई नहीं होती हो, अतिक्रमण की भरमार हो, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हो, आवासीय भवन में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हों, या भवन निर्माण के नियमों को ठेंगा दिखाते हुए कोई निर्माण हो रहा हो, तब भी कोई उसके विरुद्ध शिकायत तक नहीं करता। सड़क पर गलत पार्किंग हो, ट्रैफिक लाइट का उल्लंघन करते हुए कोई दिख जाए, तब भी हम कोई शिकायत नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे मन में यह भावना घर कर चुकी है कि सरकार में शिकायत करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहां तो ऐसे ही चलता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो सरकारी विभाग के अधिकारियों की सामान्य नागरिक के प्रति उदासीनता को दर्शाते हैं।

हम प्रतिदिन यह देखते हैं कि बिना फिटनेस के बसें और अन्य वाहन राक्षस तेज गति से दौड़ते हुए आम नागरिकों को कुचलते हुए निकल जाते हैं। बसों में यात्रियों के जिंदा जलने की खबरें निरंतर आती हैं, क्योंकि परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा वाहनों की फिटनेस को कभी जांचा ही नहीं गया। बिजली के ढीले, झूलते तारों से बसों में आग लगने की घटनाएं विद्युत वितरण निगम द्वारा बरती जा रही घोर लापरवाही का ही परिणाम है। ऐसा लगता है कि शहरी विकास की विभिन्न संस्थाओं जैसे विकास प्राधिकरण, नगर निगम, आवासन मंडल आदि ने तो नागरिकों के हित में काम न करने का प्रण कर रखा है। बड़े-बड़े ऊंचे अस्पतालों को गलियों में खोलने की अनुमति दे दी गई है। सार्वजनिक मार्गों पर वाहनों का पार्किंग वर्जित है, लेकिन सड़कों की 70 प्रतिशत से अधिक चौड़ाई तो अनधिकृत पार्किंग से, वाहनों के आवागमन के लिए उपलब्ध ही नहीं है।

पुलिस, जिसका काम, पीड़ित व्यक्ति की एफ आई आर तत्काल दर्ज कर अपराधी को सजा दिलाने का होना चाहिए, वह न तो आसानी से एफ आई आर दर्ज करती है, न अपराधी के विरुद्ध कानून के अनुसार निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करती है। अधिकांश मामलों में कार्यवाही इस पर निर्भर करती है कि जिसके विरुद्ध शिकायत है, वह सत्ता के कितना नजदीक है एवं कितना प्रभावशाली है? हमने कई बार देखा है कि नशे में डूबे रईसजादों द्वारा तेज गति से महंगी कारें चलाकर अबोध बच्चों, महिलाओं और गरीबों को कुचल दिया गया। उनकी जमानत एक दो दिन में हो जाती है और वे फिर अपने पद और धन की सत्ता के परिणाम स्वरूप उसी कार्य में लग जाते हैं। कई बार मंत्रियों, बड़े अधिकारियों या धनी व्यक्तियों के नाबालिग बच्चे भी इस प्रकार गाड़ियों को चलाते हुए पाए गए हैं। यदि इनमें से किसी के बारे में कोई शिकायत नहीं होती है तो उसके पीछे एक ही मनोवृति काम करती है और वह यह कि सरकार में किसी के विरुद्ध कुछ भी कहने और करने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि यहां तो सब। ‘ऐसे ही चलता है’।

किसी विद्यालय में कोई शिक्षक बिना नियमित रूप से आए लगातार वेतन प्राप्त करते रहें और बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएं तो भी उनके माता-पिता न तो शिक्षा विभाग के अधिकारी से कुछ कहेंगे और न उनके विरुद्ध कोई आवाज उठाएंगे क्योंकि उनका यह मानना है एक किसी के विरुद्ध शिकायत करने से कुछ होता नहीं है। सरकारी अस्पताल, जिनका काम सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत नागरिकों को इलाज उपलब्ध कराना होता है, वहां पर कोई चिकित्सक न आए, कोई उपकरण लंबे समय तक खराब पड़ा रहे और गरीबों को निजी अस्पतालों में महंगा ईलाज कराने के लिए बाध्य होना पड़े, फिर भी कोई उच्च अधिकारियों को प्रतिवेदन तक नहीं देता। इसके फलस्वरूप यह मनमानी और नागरिकों के साथ अन्याय की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ती रहती है ।

सरकारी अधिकारियों में जवाबदेही के अभाव की प्रवृत्ति नागरिकों में हताशा की प्रवृत्ति को बढ़ाने में सहायक होती है। इस पर विचार होना चाहिए कि जिस पद्धति से लोक सेवकों का चयन राज्य सेवा के लिए हो रहा है, वह वास्तव में सही है? क्या सही मनोवृति वाले लोक सेवक राजकीय सेवा में आ रहे हैं? देखा तो यह गया है कि उच्च सेवा के अधिकारी अधिक घमंडी और जनता से दूर होते हैं। आम नागरिक के लिए संभव ही नहीं है कि वह बिना सिफारिश किसी आई ए एस, आई पी एस अधिकारी से सीधे जाकर मिल ले और अपनी समस्या बता सके।

नागरिकों को यह समझना होगा कि जब तक किसी अन्याय के विरुद्ध आवाज उठा कर उसका प्रतिकार नहीं किया जाएगा तो वह एक प्रकार से अन्याय में सम्मिलित होने के समान ही माना जाएगा। यह सोचना कि शिकायत करने से कुछ नहीं होता, इस स्थिति का उपचार नहीं है। संभवतया इस सोच के पीछे उन अधिकांश नागरिकों का यह अनुभव है जिन्होंने ऐसा करने का प्रयास किया तो उनकी सुनवाई नहीं हुई और न ही, जिन लोगों ने सुनवाई नहीं की, उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई हुई।

संविधान में जहां नागरिकों को कई प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनके मूल भूत कर्तव्यों का भी उल्लेख है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सामान्य लोक की सत्ता को सर्वोच्च माना गया है। वही असहाय अनुभव करे तो यह देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है। उसके अधिकारों की रक्षा करने में कोई विभाग कोताही बरते और नागरिक उसके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाए तो यह उनकी पलायन वादी प्रवृत्ति का द्योतक है। सरकार यदि यह चाहती है कि नागरिकों की सहभागिता, सुशासन उपलब्ध कराने में बढ़े, तो उसे नागरिकों की बात को महत्व देना होगा। उसे मंच प्रदान करना होगा कि वह अपनी बात निसंकोच, बिना डर के कह सके। यदि इसके बावजूद अधिकारियों द्वारा किसी के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई न हो, तो उसकी जवाबदेही तय की जाए और उसको समय पर सजा दी जाए। जवाब देही का अभाव, अधिकारियों को निरंकुश बनाता है और अधिकारी निरंकुश होते हैं तो जनता धीरे-धीरे उदासीन हो जाती है।

यह विचारणीय है कि शासन के तीनों अंग चाहे वह कार्यपालिका हो, विधायिका हो या न्यायपालिका, कोई भी सामान्य जन की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करने में सफल नहीं रहा है। आज सामान्य नागरिक असमंजस में है कि वह करे भी तो क्या, और जाए तो कहां? इस हेतु प्रबुद्ध, सक्रिय सामाजिक संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है जो नागरिकों को संगठित करके, सरकार के किसी भी विभाग के गलत कार्य के विरुद्ध आवाज उठाने की ताकत उन्हें प्रदान करे। ऐसा यदि हम नहीं करेंगे तो यह हम अपने संविधान प्रदत्त कर्तव्यों की पालना नहीं करने के दोषी कहलाएंगे।

नागरिकों को सशक्त करने के लिए और सरकार के काम में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार कानून बनाया गया। इसे सरकारों ने बहुत कमजोर कर दिया है। अब आवश्यकता जवाबदेही का कानून बनाने की है। इस दिशा में प्रभावशाली रूप से कोई काम अभी तक नहीं हो पाया है। जनप्रतिनिधियों को पता है कि विभागों के माध्यम से जनता के हित में कार्य करने से चुनाव जीतना संभव नहीं है। चुनाव, जाति और धर्म के आधार पर उनको विभाजित करके आसानी से जीता जा सकता है। यह भी एक बड़ा कारण है कि लोग सरकारी कामकाज के प्रति उदासीन होते जा रहे हैं। यह उल्लेखनीय है कि सरकार के कामकाज से, जितना साधारण व्यक्ति प्रभावित होता है उतना प्रभावशाली व्यक्ति नहीं। इसलिए यह और भी अधिक आवश्यक है कि यदि हमें देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ना है, तो सभी नागरिकों को विशेष कर वंचित वर्ग के नागरिकों को प्रत्येक सरकारी विभाग से योजनाओं का समुचित लाभ प्राप्त हो। यदि ऐसा नहीं हो तो, नागरिकों को इसके विरुद्ध अपनी बात उठानी चाहिए और अहिंसात्मक आंदोलन करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

सरकारी अधिकारियों में जवाबदेही के अभाव की प्रवृत्ति नागरिकों में हताशा की प्रवृत्ति को बढ़ाने में सहायक होती है। इस पर विचार होना चाहिए कि जिस पद्धति से लोक सेवकों का चयन राज्य सेवा के लिए हो रहा है, वह वास्तव में सही है? क्या सही मनोवृति वाले लोक सेवक राजकीय सेवा में आ रहे हैं? देखा तो यह गया है कि उच्च सेवा के अधिकारी अधिक घमंडी और जनता से दूर होते हैं। आम नागरिक के लिए संभव ही नहीं है कि वह बिना सिफारिश किसी आई ए एस, आई पी एस अधिकारी से सीधे जाकर मिल ले और अपनी समस्या बता सके।

सरकार यदि वास्तव में जनहितकारी कहलानी चाहती है तो उसे जन समस्या निवारण के जितने भी प्रकल्प हैं, उन्हें अधिक प्रभावी बनाना होगा। उन्हें शिकायत करने वालों को प्रताड़ित करने के बजाय उन्हें प्रोत्साहित करना होगा। आज यह धारणा लोगों में घर करती जा रही है कि कानून का पालन करने वाला तो मूर्ख है और जो जितना कानून को तोड़ सकता है उतना ही वह सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकता है। फर्जी डिग्री के प्रकरण आजकल हम रोज पढ़ रहे हैं किंतु किसी के विरुद्ध कोई अपराधिक प्रकरण दर्ज करके उसे सजा मिल गई हो, ऐसा दिखाई नहीं देता। जब कोई कार्रवाई नहीं होती दिखती है तो लोग शिकायत करने तक से कतराने लगते हैं।

‘ऐसे ही चलता है’ की धारणा को बदलने के लिए अधिकारियों और जनता, दोनों को मिलकर काम करना होगा। सही सोच वाले लोगों को एकजुट होना होगा, चाहे वे सरकार में हों या सरकार के बाहर। जब ‘ऐसे नहीं चलेगा’ हर नागरिक का ध्येय वाक्य बन जाएगा तो फिर भारत को शिखर तक पहुंचने से कोई ताकत नहीं रोक पाएगी।

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

भगवान महावीर के उपदेशों की सार्वकालिकता एवं सार्वभौमिकता

राजेश्वर सिंह

भगवान महावीर का जन्म ईसा पूर्व 599 में लिच्छवी गणतंत्र की राजधानी वैशाली के कुंडग्राम (बिहार) में एक राज परिवार में हुआ था। राजवंश में जन्म लेने तथा बाल्यकाल से ही समस्त सांसारिक सुख-सुविधाओं का उपभोग करने के बावजूद भगवान महावीर ने तीस वर्ष की आयु में तीव्र वैराग्य का अनुभव किया तथा संसार का परित्याग कर संन्यास दीक्षा ग्रहण की। उन्होंने पांच महाव्रत अर्थात सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह व ब्रह्मचर्य को अंगीकार कर कठोर तपस्या की। आत्मसंयम, अप्रमाद, अकषाय और समत्व की सतत साधना उनकी तपश्चार्या का महत्त्वपूर्ण अंग थे। इस दौरान उन्होंने सभी प्राकृतिक बाधाओं यथा भूख, प्यास, शीत, घाम, शारीरिक व्याधियों, कीटदंश आदि तथा दुष्ट एवं अज्ञानी लोगों द्वारा दी गई बर्बर यातनाओं को निरपेक्ष भाव से सहन किया तथा बारह वर्ष की कठोर साधना के उपरांत वह सर्वथा वीतराग या जिन बने एवं उन्होंने कैवल्य ज्ञान अथवा सर्वज्ञता को प्राप्त किया। इस प्रकार उन्हें जैन धर्म के चौबीसवें तीर्थंकर के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। इसके बाद वह लगभग तीस वर्षों तक निरंतर परिभ्रमण व विचरण करते रहे तथा जनसमुदाय को धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा देते रहे। ई.पू. 527 में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में उनका परिनिर्वाण हुआ।

भगवान महावीर के अनुसार आत्मा शाश्वत है। वह अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनंतवीर्य तथा अनंत सुख की शक्तियों से संपन्न है पर कर्मों के आवरण के कारण उसका मूल स्वरूप ढका रहता है। भगवान महावीर ने कर्मों के इस आवरण को विच्छिन्न कर शुद्ध-बुद्ध आत्मा की सिद्धि व उपलब्धि कैसे हो, इसका मार्ग बताया। उनके अनुसार संयम (संवर) का अभ्यास करते-करते जीव जब कर्म परमाणुओं से मुक्ति पा जाता है, तब वह ‘निर्जरा’ की अवस्था में पहुंचता है। संयम साध्य निर्जरा को प्राप्त कर ही जीव मुक्ति लाभ कर सकता है। एक श्लोक में जैन दर्शन के सार को निहित करके प्रतिपादित किया गया है कि बंधन का हेतु तृष्णा (आस्त्रव) है। उसके निरोध (संवर) से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है।

भगवान महावीर का उद्घोष था कि सत्य ही भगवान है और सत्य ही लोक में सारभूत है। उन्होंने मनुष्य मात्र को ही सत्य के अन्वेषण में प्रवृत्त होने हेतु प्रेरित किया। सत्यान्वेषण की साधना व भय परस्पर विरोधी तत्व हैं। भयभीत मनुष्य सत्य के मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकता। भय के समूल नाश के लिए आवश्यक है कि मनुष्य प्राणिमात्र के साथ मैत्री साधे, किसी के साथ वैर विरोध न करें तथा संसार के समस्त जीवों के प्रति समभाव की साधना करे। इस प्रकार भगवान महावीर की अहिंसा मनुष्यता तक ही सीमित नहीं थी। उसकी परिधि में जीवों के जितने भी प्रकार हैं, सब सम्मिलित हैं। उन्होंने पशुहिंसामय यज्ञादि का भी विरोध किया। भगवान महावीर जाति के आधार पर श्रेष्ठता अथवा हीनता का निषेध करते थे। उनके अनुसार जाति की विशेषता नहीं, विशेषता तप की है। मनुष्य कर्म से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होता है। जो दुराचारी है, उसकी जाति व कुल उसकी रक्षा नहीं कर सकते। केवल यथार्थ ज्ञान और धर्मानुकूल आचरण ही मनुष्य की रक्षा कर सकते हैं।

इसी प्रकार जैन दर्शन का स्यादवाद का सिद्धांत भी अत्यंत उदार और व्यापक है। इसके अनुसार प्रत्येक वस्तु अनंत धर्मक है। स्यादवाद का स्वरूप जैन दर्शन में वर्णित सप्तभंगी वाक्यों के अध्ययन से समझा जा सकता है। संक्षेप में एक ही वस्तु को अनेक दृष्टिकोणों से देखने के सिद्धांत को स्यादवाद कहा जाता है। सत्य अनेकान्तात्मक और बहुपक्षीय है। एक कथन किसी एक दृष्टि से सत्य है तो उससे विपरीत कथन भी किसी अन्य दृष्टि से सत्य होता है इसलिए दो परस्पर विरोधी दृष्टिकोणों के बीच सामंजस्य की स्थापना का द्वार सदैव ही खुला है। जैन दर्शन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है। तत्त्वार्थ सूत्र में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र ही मोक्ष साधन के तीन रत्न या उद्देश्य बताएं गए हैं। अनादि काल से प्रत्येक आत्मा जन्म मृत्यु के आवर्त में परिभ्रमण कर रही है जो आत्मा के लिए दुखमय है। इसी प्रकार कषाय (राग और द्वेष) आत्मा के साथ कर्म पुद्गलों के बन्ध का मूल हेतु है। यह कर्म पुद्गल बहुत ही सूक्ष्म भौतिक पदार्थ रूप है। यह बन्ध ही आत्मा के दुख का कारण है। इन वृत्तियों से मुक्त होने वाला जीव शीघ्र ही मोक्ष की स्थिति को प्राप्त कर लेता हैं।

भगवान महावीर द्वारा उपदिष्ट जैन दर्शन के इन सिद्धांतों का अनुसरण न केवल भारत के कोने-कोने में फैले हुए जैन धर्मावलंबियों द्वारा किया जाता है वरन संपूर्ण विश्व में शांति, अहिंसा, निशस्त्रीकरण, जीवदया तथा प्राणिमात्र के प्रेमपूर्ण सह अस्तित्व के लिए जो भी मनुष्य या समूह कार्यरत हैं, उन सबके द्वारा इनसे प्रेरणा ग्रहण की जाती है। आज जब संपूर्ण विश्व घृणा, असंवेदनशीलता, हिंसा, क्रूरता, युद्ध और आतंकवाद का शिकार है, भगवान महावीर द्वारा प्रतिपादित सत्यान्वेषण, अहिंसा, जीव दया, प्राणिमात्र से प्रेम, परस्पर विरोधी विचारों के बीच संतुलन, समन्वय और सामंजस्य बैठाने की ईमानदार कोशिश इत्यादि महान मूल्य ही संपूर्ण मानव जाति की सुरक्षा, संरक्षा, प्रगति व समृद्धि को सुनिश्चित कर सकते हैं।

–राजेश्वर सिंह,
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
राजस्थान

किसानों का बढ़ा सम्मान, सुगम हो रहा जीवन : मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बन रही सहारा

दिनेश कुमार शर्मा

किसान केवल अन्न उत्पादक नहीं बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था और जीवन व्यवस्था के आधार स्तंभ हैं। कठिन मौसम, सीमित संसाधन और बाजार की अनिश्चितताओं के बावजूद वे निरंतर अपने श्रम से देश को खाद्य सुरक्षा प्रदान करते हैं। यही कारण है कि उन्हें ‘अन्नदाता’ के रूप में सम्मानित किया जाता है। विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए भी उनका जज्बा कभी कमजोर नहीं पड़ता।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों के जीवन को सरल और सम्मानजनक बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में ‘मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि’ योजना लागू की गई है, जिसका उद्देश्य किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करना और उनके आत्मसम्मान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है।

इस योजना के तहत किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से मिलने वाली राशि को बढ़ाते हुए राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को 6 हजार रुपये की वार्षिक राशि तीन समान किस्तों में प्रदान की जाती है। जबकि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अतिरिक्त सहायता के रूप में किसानों को अब 3 हजार रुपये वार्षिक दिए जा रहे हैं। पूर्व में यह राशि 2,000 रुपये थी। इस प्रकार राज्य के किसानों को 9 हजार रुपये की सम्मान निधि प्रतिवर्ष मिल रही है। राज्य सरकार इसे चरणबद्ध रूप से 12 हजार रुपये वार्षिक करने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रदेश के किसानों की समृद्धि और खुशहाली के लिए राज्य सरकार ने यह योजना लागू की। वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के राज्य के पात्र किसानों को योजना के तहत 2,000 रुपये की राशि 3 किस्तों में दी गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 30 जून, 2024 को टोंक में आयोजित एक समारोह में इस योजना का शुभारम्भ करते हुए 65 लाख से अधिक किसानों को प्रथम किस्त की लगभग 653 करोड़ रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की। प्रथम किस्त के रूप में किसानों के बैंक खातों में 1000-1000 रुपये हस्तांतरित किये गए। वहीं, 13 दिसम्बर, 2024 को द्वितीय एवं तृतीय किश्त की एकमुश्त 1000-1000 रुपये की राशि किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की गई। द्वितीय एवं तृतीय किश्त के रूप में लगभग 702 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई। योजना की चतुर्थ किस्त 18 अक्टूबर, 2025 को धनतेरस के दिन नदबई में आयोजित समारोह में जारी की गई। चतुर्थ किश्त के रूप में 718 करोड़ की राशि किसानों के खातों में हस्तांतरित की गई। वहीं, योजना की पांचवीं किश्त विगत 22 जनवरी को सिरोही में आयोजित समारोह में जारी की गई। इस प्रकार, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य सरकार अब तक पांच किस्तों के माध्यम से किसानों के खातों में 2,726 करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त सहायता राशि हस्तांतरित कर चुकी है। सहकारिता विभाग इस योजना का नोडल विभाग है। जिन कृषकों के पास भूमि 1 फरवरी 2019 के पूर्व में है, उन्हें इस योजना का लाभ मिल सकता है। उक्त तिथि के बाद विरासत से अर्जित भू-धारक कृषक ही योजना के पात्र हैं। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कृषक स्वयं भारत सरकार द्वारा सृजित पीएम-किसान पोर्टल पर जाकर अपना पंजीयन करवा सकते हैं अथवा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर एवं ई-मित्र के माध्यम से भी पंजीयन करवाया जा सकता है। इस योजना से किसानों को न केवल आर्थिक मजबूती मिल रही है, बल्कि उनके आत्मविश्वास और सम्मान में भी वृद्धि हो रही है। अतिरिक्त आय से वे अपनी खेती की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर पा रहे हैं और दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को भी सहजता से पूरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आज किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। यह पहल न केवल आर्थिक सहायता का माध्यम है, बल्कि किसानों के सम्मान, स्वाभिमान और सशक्तीकरण की दिशा में एक सशक्त कदम भी है।

–दिनेश कुमार शर्मा,
सहायक जनसंपर्क अधिकारी

युद्धग्रस्त विश्व में महावीर की अहिंसा: शांति की एकमात्र राह

संदर्भ – तीर्थंकर महावीर स्वामी का 2625वां जन्म कल्याणक

श्रमण डॉ. पुष्पेंद्र

आज का विश्व एक विचित्र विरोधाभास से गुजर रहा है। एक ओर विज्ञान, तकनीक और वैश्वीकरण ने मानव जीवन को अभूतपूर्व सुविधाएं दी हैं, वहीं दूसरी ओर युद्ध, हिंसा और असहिष्णुता ने मानवता के अस्तित्व पर ही प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है। विश्व के अनेक क्षेत्रों में चल रहे संघर्ष, आतंकवाद, सामरिक प्रतिस्पर्धा और आंतरिक कलह यह संकेत देते हैं कि भौतिक प्रगति के बावजूद मनुष्य अभी भी मानसिक और नैतिक रूप से अस्थिर है। ऐसे समय में जब राष्ट्र अपनी शक्ति का प्रदर्शन हथियारों और युद्ध के माध्यम से कर रहे हैं, मानव जीवन का मूल्य कहीं पीछे छूटता जा रहा है। युद्ध केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह समाज, परिवार और व्यक्ति के मनोविज्ञान को भी प्रभावित करता है। हिंसा का यह वातावरण भय, असुरक्षा और अविश्वास को जन्म देता है, जिससे शांति और सह-अस्तित्व की संभावनाएं क्षीण हो जाती हैं।

वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि हिंसा कभी भी स्थायी समाधान नहीं दे सकती। युद्ध भले ही किसी समस्या का तात्कालिक समाधान प्रतीत हो, लेकिन वह दीर्घकाल में और अधिक संघर्षों को जन्म देता है। आज आवश्यकता है एक ऐसे दृष्टिकोण की, जो केवल शक्ति और प्रभुत्व पर नहीं, बल्कि संवेदना, सह-अस्तित्व और नैतिकता पर आधारित हो। यहीं पर तीर्थंकर भगवान महावीर के अहिंसा के सिद्धांत की प्रासंगिकता अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। भगवान महावीर ने अहिंसा को केवल शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे विचार, वचन और कर्म-तीनों स्तरों पर लागू किया। उनके अनुसार किसी भी प्राणी को पीड़ा पहुंचाना हिंसा है, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष।

प्रभु महावीर का अहिंसा का सिद्धांत आज के युद्धग्रस्त विश्व के लिए एक नैतिक दिशा प्रदान करता है। यदि हम उनके विचारों को गहराई से समझें, तो यह स्पष्ट होता है कि युद्ध की जड़ें बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर उत्पन्न होने वाले राग, द्वेष, अहंकार और लालच में निहित हैं। जब तक इन मानसिक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण नहीं किया जाएगा, तब तक बाहरी शांति स्थापित नहीं हो सकती। आज के समय में हिंसा केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है। यह हमारे दैनिक जीवन में भी विभिन्न रूपों में उपस्थित है-विचारों की कट्टरता, शब्दों की कठोरता, सामाजिक विभाजन और डिजिटल माध्यमों पर फैलती नफरत के रूप में। महावीर का संदेश हमें यह सिखाता है कि वास्तविक अहिंसा का पालन तभी संभव है, जब हम अपने भीतर की नकारात्मकता को पहचानकर उसे नियंत्रित करें। विशेष रूप से वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, जहां राष्ट्रों के बीच अविश्वास और प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है, ऐसे वक्त पर तीर्थंकर महावीर का जियो और जीने दो का सिद्धांत अत्यंत प्रासंगिक है। यदि राष्ट्र एक-दूसरे के अस्तित्व, संप्रभुता और हितों का सम्मान करें, तो संघर्ष की संभावनाएं स्वतः कम हो सकती हैं। इसके साथ ही, महावीर का अपरिग्रह का सिद्धांत भी वर्तमान युद्ध और हिंसा के मूल कारणों को समझने में सहायक है। यदि सीमित इच्छाओं और संतुलित उपभोग को अपनाया जाए, तो न केवल सामाजिक असमानताएं कम होंगी, बल्कि युद्ध के कारण भी कमजोर पड़ेंगे।

महावीर द्वारा प्रतिपादित रत्नत्रय-सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र-आज के समय में एक समठा समाधान प्रस्तुत करता है। सम्यक दर्शन हमें पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर वस्तुस्थिति को समझने की प्रेरणा देता है। सम्यक ज्ञान हमें सत्य और असत्य में भेद करने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे हम गलत सूचनाओं और भ्रामक विचारों से बच सकते हैं। और सम्यक चरित्र इन दोनों का व्यावहारिक रूप है, जो हमारे आचरण को नैतिक और संतुलित बनाता है। अतः यह स्पष्ट है कि वर्तमान समय में जब विश्व हिंसा और युद्ध की आग में झुलस रहा है, भगवान महावीर का अहिंसा का सिद्धांत केवल एक आध्यात्मिक आदर्श नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक आवश्यकता बन चुका है। यदि व्यक्ति, समाज और राष्ट्र इस सिद्धांत को अपने जीवन और नीतियों में स्थान दें, तो न केवल संघर्षों को कम किया जा सकता है, बल्कि एक स्थायी और समरस विश्व की स्थापना भी संभव है।

अंततः, शांति किसी बाहरी व्यवस्था का परिणाम नहीं, बल्कि आंतरिक चेतना का प्रतिबिंब है। जब मनुष्य अपने भीतर अहिंसा, करुणा और संतुलन को विकसित करेगा, तभी वह बाहरी दुनिया में भी शांति स्थापित कर सकेगा। यही तीर्थंकर महावीर का संदेश है-और यही आज की सबसे बड़ी आवश्यकता।

–श्रमण डॉ. पुष्पेंद्र

राशिफल मंगलवार 31 मार्च, 2026

पंडित अनिल शर्मा

चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2083, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र दिन 3:21 तक, गंड योग दिन 3:41 तक, तैतिल करण प्रातः 6:56 तक, चन्द्रमा आज रात्रि 9:33 से कन्या राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थितिः सूर्य-मीन, चन्द्रमा-सिंह, मंगल-कुम्भ, बुध-कुम्भ, गुरू-मिथुन, शुक्र-मेष, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज रवियोग दिन 3:31 तक और रात्रि 8:10 से पुनः आरम्भ होगा। आज शिव दमनोत्सव, चतुरदशी, नृसिंह दोलोत्सव है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:27 से 10:59 तक, लाभ-अमृत 10:59 से 2:03 तक, शुभ 3:35 से 5:07 तक।

राहूकाल: 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 6:23, सूर्यास्त 6:39

मेष
परिवार में महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। आप आप रचनात्मक कार्यों में भाग ले सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों के लिए भागदौड़ बनी रहेगी।

वृष
परिवार में अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। सुख-शांति बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्यों एवं व्यावसायिक आय में प्रगति होगी।

मिथुन
व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक सफलता से मनोबल ऊंचा रहेगा। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

कर्क
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।

सिंह
व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा।

कन्या
आर्थिक/वित्तीय मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी। धन हानि का भय है। अनावश्यक धन खर्च होगा। नौकरीपेशा व्यक्तियों को परेशानी हो सकती है।

तुला
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अटका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। चलते कार्यों में प्रगति होगी। स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी।

वृश्चिक
व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आवश्यक कार्य सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन/संदेश प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी।

मकर
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

कुंभ
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। व्यावसायिक योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

मीन
स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिलेगी। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।